

संपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं उक्त दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः विधिकीय दृष्टि सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

सर्वोत्तम जयते स	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
	2	3	4	5	6	7
1.	लज्जाराम पुत्र अक्षयराज रामेश्वर पुत्र रामाजी जीवणराम सि. 1/2 ओम पाटला - देवभावेष्ट	80 130	0.090	लज्जाराम पुत्र अक्षयराज 1/2 रामेश्वर पुत्र नीलाल सि. जीवणराम सि. 1/2 पाटल रा. श्री सुभाषप्रस अमतेष्ट	80 130	0.090

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक : 19/2/20

क्रमांक 192

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- 1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक :

क्रमांक

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- 1. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का रथगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालन सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

